UPMP010025872026

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश**,** मैनपुरी

पीठासीन अधिकारी– (Rupesh Ranjan)**, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02022**

जमानत प्रार्थना पत्र सं० 887/2026

मोनू बघेल उम्र 23 वर्ष पुत्र स्व. शिवनाथ सिंह निवासी ग्राम कुर्रा थाना कुर्रा,जिला मैनपुरी।

–––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य –––विपक्षी/वादी

आदेश

1– प्रार्थी/अभियुक्त मोनू बघेल की ओर से यह प्रार्थना पत्र **मुकदमा अपराध संख्या 41/2026 अन्तर्गत धारा–69,89,352,351(3)BNS बी.एन. एस. थाना–कुर्रा** जिला मैनपुरी में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना–पत्र में यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। प्रार्थी का जमानत प्रार्थना–पत्र किसी अन्य न्यायालय एवम माननीय उच्च न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है।

3– संक्षेप में लिखित तहरीर के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि " वादिनी मुकदमा पुत्री बाबू अली निवासी कुर्रा जरावन थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी की मूल निवासिनी है। दिनांक 09.03.2026 को गांव का ही मोनू बघेल पुत्र शिवनाथ बघेल, जो कि एक साल पहले प्रार्थिनी के साथ शादी की झूठी बातें करके शारीरिक सम्बन्ध बनाए, जिससे प्रार्थिनी गर्भवती हो गई थी। अभियुक्त ने जबरदस्ती दवा खिलाकर मेरा बच्चा गिरवा दिया और अब शादी करने से मना कर रहा है। विरोध करने पर गाली–गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गई है।''

4– प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि,'' उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है और न ही पीड़िता के साथ कोई घटना कारित किया है। वह पूर्व से शादी शुदा है तथा उसकी ससुराल जसराना थाना जिला फिरोजाबाद में है। उसके पति से विवाद चल रहा है। इसी कारण उसने प्रार्थी को अपने भरण–पोषण खाना खर्चा की पूर्ति हेतु फंसाया है। उक्त मुकदमे की पीड़िता लगभग 1–2 वर्ष से सम्पर्क में है फिर भी उक्त पीड़िता के पति द्वारा यह कहा गया है कि वह अब पीड़िता को नहीं रखेगा तब उसने अपने जीवन के लिए यह रास्ता अपनाया है। प्रार्थी के द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया हैं उसने अपने बच्चे को स्वयं दवा खाकर गिराया है

तथा भ्रूण नष्ट किया है और प्रार्थी को झूठा मुकदमा दर्ज कराकर उसे फंसाया है। वह स्वयं शादी शुदा व्यक्ति है तथा उसके पत्नी है और वह अपनी पत्नी के साथ चण्डीगढ़ में रहकर अपना जीवन यापन कर रहा है। उक्त मुकदमा में ब्लेकमेल करने के आशय से झूठा फंसाया गया है। दवा खिलाने वाली बात और गर्भ गिराने वाली बात झूठी है। इसका कोई साक्ष्य नहीं है और न ही बच्चा कब गिराया गया है,इसका भी कोई प्रमाण–पत्र अथवा मेडीकल नहीं है। पीड़िता चांदनी की शादी को कई वर्ष पूर्व इरफान निवासी थाना जसराना जिला फिरोजाबाद के साथ निकाह हुआ था। दो तीन वर्ष पति के साथ रहने के बाद झगड़ा होने के बाद अपने मायके कुर्रा में रह रही है और परिवार न्यायालय में पति के विरूद्ध भरण–पोषण का मुकदमा भी चल रहा है,जो परिवार न्यायालय में विचाराधीन है। करीब ढाई वर्ष पूर्व भी उक्त पीड़िता ने प्रार्थी के विरूद्ध थाना कुर्रा में यही आरोप लगाकर एक प्रार्थना–पत्र दिया था जिस पर पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर दिनांक 31–10–2024 को 75,000/–रूपए पीड़िता को दिलवाकर समझौता करा दिया था। तभी से प्रार्थी चण्डीगढ़ में रहकर प्राइवेट कार्य कर रहा है और तब से लेकर अब तक उक्त महिला से न तो कोई बात हुई और न ही प्रार्थी उनसे मिला है। चूंकि घटना ढाई वर्ष पुरानी है और पीड़िता ने यह घटना एक वर्ष पूर्व की बतायी है। थाने में घटना की सूचना एक वर्ष बाद देने से मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। पीड़िता ने एफ.आई.आर में कहा है कि शादी का झूठा वादा करके शारीरिक सम्बन्ध बनाये हैं। यह कहना गलत है कि क्योंकि पीड़िता पहले से ही शादी शुदा है। उसका भरण–पोषण का मुकदमा पहले से ही चल रहा है। उसका उसके पति से तलाक नहीं हुआ है तो शादी का झूठा वादा कर रिपोर्ट लिखाना गलत है। तथाकथित घटना के संबंध में इतना समय बीत जाने के बाद भी किसी उच्चाधिकारी को कोई लिखित प्रार्थना–पत्र नहीं दिया है। थाना गॉव में ही है। रिपोर्ट लिखाने कहीं जाना भी नहीं पड़ता। पत्रावली पर घटना के संबंध में कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 183 में बहनों का भी नाम लिया है और कहा कि उसकी बहनों ने गर्भ गिराने की दवा खिलाई जबकि सत्यता यह है कि उसकी दोनों विवाहित बहने अपने ससुराल में रहती हैं जिनका विवाह 10 वर्ष पूर्व हो गया था। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। उसके विरूद्ध कोई भी घटना से सम्बन्धित स्वतन्त्र साक्षी नहीं है,जो भी गवाह हैं वह वादिया के मेली हैं। प्रार्थी दिनांक 31–05–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। विवेचक ने दौरान विवेचना प्रार्थी के बहनों की कोई भूमिका नहीं पायी है। इसलिए विवेचक ने दोनों नाम एफ.आई.आर से हटा दिये हैं इससे पूरी ही घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। मा० सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोद कुमार नवरत्ना बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में फरवरी 2026 में यह व्यवस्था दी है कि विवाहित महिला के साथ सम्बन्ध को शादी के वायदे पर रेप नहीं माना जा सकता है। मा० सर्वोच्च न्यायालय ने 'जसपाल सिंह कोराल बनाम दिल्ली एन०सी०टी०" में दि० 17/4/2025 को स्पष्ट किया है कि विवाह का वायदा टूटने पर दुष्कर्म का केस नही बनता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने "निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ" मामले में स्पष्ट किया है कि दो "व्यस्क" सहमति से शारीरिक सम्बन्ध बनाते है और वाद में अनवन

होने पर रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं तो यह दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता है। उक्त चाँदनी ग्राम दरियापुर थाना बरनाहल जिला मैनपुरी में एक लड़के के साथ भाग गयी थी। करीब डेढ़ माह तक वहाँ रूकी थी उसके बाद थाना बरनाहल में उसकी शिकायत कर दी तब एक लाख रूपए में समझौता हुआ था। कुर्रा में पी.के शर्मा नामक व्यक्ति है जो पी.एल.वी है वह उक्त पी.के शर्मा चांदनी को किराये पर विभिन्न लोगों के पास भेजता है और धन उगाई करता है। चाँदनी,चाँदबाबू के साथ भाग गयी थी। 15 दिन रूकने के बाद उसने मुकदमा किया जिसमें समझौता में पैसा लिया था। प्रार्थी 26 तारीख को अपने घर पत्नी के साथ कुर्रा आया हुआ था। दिनांक 28–05–2026 को दिन के 1 बजे उसको घर से थाना प्रभारी विक्रान्त कुमार उठा ले गये। तीन दिन तक लगातार अवैध हिरासत में रखा और दिनांक 30–05–2026 को शाम के समय उसकी फर्जी गिरफ्तारी कोअटिया तालाब से दिखाई है। गिरफ्तारी मीमो पर किसी पब्लिक के व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है। गिरफ्तारी के आधार लिखित में नहीं दिये गये हैं। यह निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय की गाइड लाइन का उल्लंघन है और भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 व अनुच्छेद 22(1) व (2) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 58 का खुला उल्लंघन है। प्रार्थी निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नही किया है। वह अपनी जमानत देने को तैयार है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी को जमानत पर रिहा किये जाने याचना की गयी है।''

5–विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया एवं तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

6–विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

7– प्राथमिकी / अभिलेख के अवलोकन से यह पाया जाता है कि आवेदक / अभियुक्त द्वारा एक साल पहले पीड़िता के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाए गए, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई तथा दिनांक 09.03.2026 को आवेदक/ अभियुक्त द्वारा पीड़िता को दवा खिलाकर उसका जबरन गर्भपात कराया गया और उसके बाद शादी करने से मना करना बताया गया है तथा पीड़िता द्वारा विरोध करने पर उसको गाली–गलौज कर जान से मारने की धमकी देने का कथन किया गया है। पीड़िता द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 180 व 183 बी.एन.एस.एस. में कथन किया गया है कि उसे अभियुक्त की बहिन ने एक दर्द की गोली बताकर उसे गर्भपात की दवाई खिला दी थी,जिससे बच्चा गिर गया। गर्भपात किसी अस्पताल में नहीं हुआ था। बच्चा घर पर ही गिरा था। पीड़िता की माँ द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस में पीड़िता के शादी शुदा होने का कथन किया गया है। पीड़िता पूर्व से ही शादी शुदा है तथा उसका निकाह इरफान अली से दिनांक 15–03–2026 को हुआ था,जिसके सम्बन्ध में प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय मैनपुरी में याचिका संख्या 849/2024 अन्तर्गत धारा 144 बी.एन.एस.एस विचाराधीन

होने की प्रमाणित प्रति पत्रावली पर दाखिल की गई है। पीड़िता द्वारा चिकित्सक के समक्ष अपना आन्तरिक व बाह्य परीक्षण कराने से इंकार किया गया है। पीड़िता बालिग है। जहाँ तक पीड़िता का दवा खिलाकर गर्भपात कराए जाने का प्रश्न है,उक्त के सम्बन्ध में कोई भी चिकित्सकीय साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है। **थाने से प्राप्त आख्या में अभियुक्त का आपराधिक इतिहास दर्शित किया गया है,किन्तु दोषसिद्धि के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।** अभियुक्त दिनांक 31–05–2026 से जेल में निरूद्ध है। वाद के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण दोष पर कोई विचार व्यक्त न करते हुए,अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

अभियुक्त **मोनू बघेल** द्वारा योजित जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

1– अभियुक्त द्वारा मुव. 50,000/– रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं इसी धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के, दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनाँकः25–06–2026

(रूपेश रंजन)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

मैनपुरी

RUPESH RANJAN

Digitally signed by RUPESH RANJAN
Location: Mainpuri
Date: 2026.06.25 13:21:32 +0530